



**OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,**

**BILASPUR (C.G.) 495 009**

**कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495009**

Phone: 07752-260289, Email:- [principalgecbilaspur@gmail.com](mailto:principalgecbilaspur@gmail.com), Website:- [www.gecbsp.ac.in](http://www.gecbsp.ac.in)

क्रमांक / रक्ता-२ / २०२३ /

/ बिलासपुर, दिनांक

**—: आदेश :—**

शैक्षणिक संच 2023-24 के लिये चयनित अभ्यर्थी के विभागाध्याया की अनुशासा के आधार पर अंशकालीन व्याख्याता के तौर पर विषय रोगेस्टर से सब की समाप्ति तक के लिए छत्तीरागढ़ शासन द्वारा जारी रोटोप के तहत संस्था में रिक्त पद के लिए निम्न शर्तों के साथ अरण्डाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम	गोबाइल नं.	विभाग	रिमार्क
01	श्रीमति सुष्ठा तिवारी	0680417010	आई.टी.	
02	श्री धीरज गुप्ताल	9901004406	आई.टी.	

शर्तों:-

1. छत्तीरागढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, के पत्र क्रमांक/एफ १-५/२०२२/तक.शि./४२/नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०२.१२.२०२२ के परिपालन में पारिश्रमिक रूपये ८००/- (रुपये आठ सौ मात्र) प्रति पीरियड, जिसकी अधिकतम् शीमा रूपये ५६१००/- (रुपये छप्पन हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय होगी एवं शैक्षणिक अवधि तक उपरिक्त रहना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त आदेश के पारिश्रमिक का छोड़कर शासकीय सेवा में नियमितिकरण, वरिष्ठता, उच्च वेतनमान् आदि किसी भी प्रकार की न तो भाँग और न ही किसी भी व्यायालय में दावा पोश करेंगे।
3. अंशकालीन व्याख्याता की सेवाएं आवश्यकता न होने की वशा में किसी भी रामय अथवा अन्य आदेश जारी होने की विधति में रखेव रामात् हो जावेगी।
4. उपरोक्त आदेश की विधि से दस दिवस के अन्दर अपना पदभार प्रहण न करने पर या लगातार सात दिवस अनुपरिष्ठत रहने की वशा में आपकी सेवाएं रखेव रामात् मानी जावेगी तथा जिस दिन कहाएं होंगी उस दिन गहाविद्यालयीन शिक्षण समय १०:३० बजे से ०५:०५ बजे तक अनिवार्य रूप रो उपरिष्ठत रहेंगे।
5. अंशकालीन व्याख्याता अपना पारिश्रमिक देयक, गाह के लीन तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा शाखा में जाना करेंगे।
6. शैक्षणिक गतिविधियां, प्राचार्य/विभागाध्याया के द्वारा रामय-रामय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित करेंगा होगा।
7. आयुक्त-राह-संचित, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीरागढ़, के पत्र क्रमांक पी.ए./तक.शि./२०१८/७०८ दिनांक ११.१२.२०१८ के संदर्भ में उपरोक्त आदेश की अवधि में किसी भी प्रकार का पूर्ण कालीन अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी इस पद के लिए अपात्र होंगे, अतएव ऐसे अभ्यर्थी इस पद पर कार्यभार प्रहण न करें।
8. गहाविद्यालय में आयोजित होने वाली रामी प्रकार की परीक्षाओं में आवश्यकता अनुसार वीक्षक के कार्य का निर्वहन करना अनिवार्य होगा।
9. प्राचार्य/विभागाध्याया के आदेशों का पालन न करने पर व किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता दर्शने पर यह सेवा तत्काल रामात् की जावेगी।

  
**प्राचार्य,  
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,  
बिलासपुर (छ.ग.)**

पृष्ठां०क० / रस्ता-२/२०२३/ २४६५

विलासपुर, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, ब्लाक-तीन, तृतीय एवं चतुर्थ तल अटल नगर रायपुर छ०ग०।
2. विभागाध्यक्ष, आई.टी. इंजीनियरिंग, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विलासपुर छ.ग. हरा अभियुक्ति सहित कि वे, चयनित अभ्यर्थी को समय रीमा में पदभार ग्रहण करने हेतु उनके मोबाईल पर सूचित करना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी, अंशकालीन व्याख्याता, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विलासपुर छ०ग०।
4. लेखापाल / देयक लिपिक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विलासपुर छ०ग०।
5. सूचना पटल, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विलासपुर छ०ग०।
6. "संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. वेबसाइट प्रति।

3  
06/10/23  
प्राचार्य,  
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय  
विलासपुर छ.ग.  
6/10/23